पटना नगर निगम

मौर्यलोक कम्पलेक्स पटना–800001

पत्रांक 10705 /स्था0,

प्रेषक,

अपर नगर आयुक्त (स्था0),
पटना नगर निगम, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी,
नूतन राजधानी अंचल,
पटना नगर निगम, पटना।

पटना, दिनांक 12/10/2017ई0

विषयः– **वाद सं0–ए–742/2017 श्रीमती गीता देवी बनाम लोक सूचना पदाधिकारी, नूतन राजधानी अंचल, पटना नगर निगम के संबंध में।**

प्रसंगः– पत्रांक–1854/स्था0, दिनांक–06.10.2017

महाशय,

आपके द्वारा पत्रांक–1854/स्था0, दिनांक–06.10.2017 के माध्यम से स्व0 राम प्रवेश राम, रक्षक की संचिकाओं को खोजने हेतु पॉच नामित कर्मचारियों का आदेश निर्गत किया गया हैं।

आपके पत्र के आलोक में नगर आयुक्त द्वारा संज्ञान लेते हुए संबंधित कर्मी से कारण पृच्छा करने का निदेश दिया गया हैं।

अतएव उक्त संचिका के रख–रखाव करने वाले सहायक (Custodian) को चिन्हित करते हुए अद्योस्ताक्षरी को संसूचित किया जाय, ताकि नगर आयुक्त के आदेश के आलोक में अग्रेत्तर कार्रवाई करना सुनिश्चित् किया जाय।

अनु0:–यथावर्णित।

नगर आयुक्त के निदेशानुसार
दिनांक–09.10.2017

विश्वासभाजन,

12/10/17

अपर नगर आयुक्त (स्था0),
11/10 पटना नगर निगम, पटना।

"बेहतर हो पहचान अपना, विकसित राजधानी सुन्दर पटना"

पटना नगर निगम

नूतन राजधानी अंचल

पत्रांक-1854/स्था0, पटना दिनांक-06/10/2017

प्रेषक,

कार्यपालक पदाधिकारी
नूतन राजधानी अंचल

सेवा में,

नगर आयुक्त
पटना नगर निगम, पटना।

विषय :- वाद सं०-ए-742/2017 श्रीमती गीता देवी बनाम लोक सूचना पदाधिकारी नू०रा०अ० प०न०नि० के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में अनुरोधपूर्वक सूचित करना है कि दिनांक-06.05.16 को स्व0 राम प्रवेश राम (रक्षक) की पत्नी ने कार्यालय से राम प्रवेश राम से संबंधित कुछ सूचना की मॉग की थी। कार्यालय में संचिका की खोज-बीन की गयी परंतु संचिका उपलब्ध नहीं हो पायी।

कार्यालय पत्रांक-453, दिनांक-02.03.17 को अपर नगर निगम (स्था0) को संचिका उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया क्योकि आदेश ज्ञापांक-752, दिनांक-24.04.07 से स्व0 राम प्रवेश राम (रक्षक) नूतन राजधानी अंचल के मरनोपरांत इनके पुत्र की नियुक्ति अनुकम्पा के आधार पर पम्प खलासी के पद पर नियुक्ति की गई है। इस हेतु संचिका मुख्यालय भेजी गयी थी।

दिनांक-01.09.17 एवं 04.09.17 को माननीय मुख्य सूचना आयुक्त के द्वारा पारित आदेशानुसार सुनवाई की तिथि जो 18.10.17 को अपराह्न 02:30 बजे सूचना उपलब्ध नहीं कराई गयी, वैसी स्थिति में लोक सूचना पदाधिकारी पर दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी।

पारित आदेश के आलोक में अपर नगर आयुक्त (स्था0) पत्रांक-8853, दिनांक-07.09.17 के द्वारा यह सूचित किया गया कि स्व0 राम प्रवेश राम (रक्षक) के पुत्र निरंजन कुमार की नियुक्ति के पश्चात राम प्रवेश राम (रक्षक) की निजी संचिका कार्यालय को उपलब्ध कराई जा चुकी है।

अधोहस्ताक्षरी के द्वारा अग्रेतर कार्रवाई करते हुए कुल पॉच (05) कर्मियों क्रमश: (1) श्री रविन्द्र कुमार, चपरासी (2) श्री ज्ञान भूषण सिंह, सेवानिवृत, प्र0 पदा0 (3) श्री शिव कुमार पाण्डे, सेवा निवृत, सहायक (4) श्री दीना, सहायक, वर्त्तमान में मुख्यालय में पदस्थापित (5) श्री शत्रुधन कुमार, प्र0 सहायक को निजी संचिका अबिलंब खोजने हेतु कार्यालय पत्रांक-1697, दिनांक-09.09.17 को आदेश निर्गत की गयी परंतु संचिका अबतक उपलब्ध नहीं हो पायी है।

अत: भवदीय से अनुरोध है कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के आदेश के आलोक में आवश्यक मार्गदर्शन देने की कृपा की जाये।

विश्वासभाजन

कार्यपालक पदाधिकारी
नूतन राजधानी अंचल

Amit Kumar